

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

—: आदेश :—

सं०— 11/डी०-05-04/2024—

/पटना, दिनांक :-

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी का पत्रांक-1609 दिनांक-09.05.2025 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित सारणी के स्तंभ-2 में अंकित सहायक/कनीय अभियंता (असैनिक) को खरीफ सिंचाई अवधि 2025 के लिए रिहन्द एवं वाणसागर जलाशय से प्राप्त होने वाले जलश्राव का अनुश्रवण एवं पर्याप्त नियमित जलश्राव प्राप्त करने हेतु स्तंभ-5 में अंकित कार्यालय स्थल पर पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/गृह जिला/आई०डी०	वर्तमान पदस्थापन	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	प्रतिनियुक्त कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री प्रशांत कुमार औरंगाबाद/5862	अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-1, मलियाबाग (सिंचाई प्रमंडल, नावानगर के अंतर्गत)	डिहरी	रिहन्द जलाशय
2	श्री कमलेश कुमार चन्दौली (उ०प्र०)/जे०-10210	कनीय अभियंता, सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमंडल, भभुआ	डिहरी	वाणसागर जलाशय

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- प्रतिनियुक्त अभियंताओं के वेतनादि का भुगतान नियमानुसार उनके मूल पदस्थापित स्थान से पूर्ववत् होता रहेगा।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी प्रतिनियुक्त अभियंताओं को प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान करने हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत अविलंब विरमित करते हुए विरमन प्रतिवेदन ई-मेल पता—**undersecretary2.wrd@gmail.com** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- उपर्युक्त प्रतिनियुक्त विभागीय आदेश सं०-239 दिनांक-28.06.2024 द्वारा संसूचित खरीफ सिंचाई अवधि 2025 के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:-11/डी०-05-04/2024—

/पटना, दिनांक :- 21.5.25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक/कनीय अभियंता (असैनिक)/प्रशाखा पदाधिकारी 10, 12 (निजी संचिका में

संधारण हेतु), 15, 16, 22, 23 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियन्ता आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को (विभागीय/Common Integrated Website पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25
अवर सचिव (प्रबंधन)।